राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांकः– 004 /241/NULM/तीन/2001(SUH)Vol-IV दिनांक 5-1-2017

मा0 उच्चतम न्यायालय/शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
   जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0
3. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक
   शहर मिशन प्रबंधन इकाई/ जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0
4. समस्त अधिशासी अधिकारी
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

विषयः–मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या– 55/2003 सम्बद्ध रिट याचिका (सिविल) संख्या–5 72/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0– 2866/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 18.11.2014, 3619/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 30.12.14, 2866/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 18.11.2014, 3814/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 09.01.2015, 3917/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 13.01.15, 4344/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 03.02.15, 2993/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 16.10.2015, 3071/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 04.11.2015, तथा 014/241/NULM/तीन/ 2001 (SUH) दिनांक 10.12.2015, का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया था कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक 'शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजनान्तर्गत' उल्लिखित सेवाओं/सुविधाओं की उपलब्धता वर्तमान में संचालित सभी (स्थायी/अस्थायी) प्रकार के शेल्टर होम में सुनिश्चित किया जाना है। उक्त सेवाओं/सुविधाओं की उपलब्धता में यदि कहीं कोई भी कमी हो तो उसका सुधार करने की कार्यवाही तत्काल की जाय तथा अद्यतन आख्या तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 967/241/NULM/तीन/2001(SUH)Vol-IV दिनांक 22.12.16 द्वारा अवगत कराया गया था कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11 नवम्बर 2016 के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो अन्य कार्यों के साथ प्रत्येक शहर में उपलब्ध आश्रयों के भौतिक सत्यापन इस दृष्टि से करेगी क्या वे दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय स्कीम हेतु परिचालनात्मक दिशा निर्देश के अनुरूप है? इस पत्र द्वारा भी इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी जो अभी तक अप्राप्त है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में विद्यमान सभी (स्थायी/अस्थायी) प्रकार के आश्रयों में दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय के परिचालनात्मक दिशा निर्देशों में उल्लिखित सेवाओं/सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। परिचालनात्मक गाइडलाइन्स के अनुसार आश्रय गृह में प्रति व्यक्ति न्यूनतम 50 वर्गफिट स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। उसमें मुख्यतया निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी–

(1) आश्रय गृह सातों दिन चौबीस घण्टे (24X7) सभी मौसम में स्थायी रूप से खुले रहेंगे।
(2) बेघर व्यक्ति चूंकि विभिन्न पालियों में रात और दिन में कार्य पर जाते है अतः वे आश्रय गृह में किसी भी समय आ सकते हैं और वहां से जा सकेंगे।
(3) बेघर व्यक्तियों की सम्मानजनक जीवनोपाय सुनिश्चित करने के लिये आश्रय गृह में निम्नलिखित नागरिक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी–

(क) हावादार कमरे,
(ख) शुद्ध पेयजल और सफाई,
(ग) पर्याप्त स्नान घर और प्रसाधन व्यवस्था,
(घ) स्तरीय प्रकाश व्यवस्था,
(ड़) पर्याप्त अग्निशमन/सुरक्षा के उपाय,

(च) प्राथमिक उपचार व्यवस्था,
(छ) मच्छर और कीट नियंत्रण,
(ज) कम्बल, गद्दे, चादर आदि की नियमित धुलाई और अन्य सेवाओं का अनुरक्षण,
(झ) सामुदायिक रसोई घर/बर्तन रसोई गैस संयोजन आदि,
(त्र) समीपस्थ आंगनबाड़ी केन्द्रों से सम्बद्धता द्वारा बच्चों की देखभाल की सुविधा,
(ट) अन्य सेवाओं/अनुमन्यताओं के साथ अभिसरण (convergence) की सुविधा, अन्य सुविधायें जो नगरीय निकाय की राय में उचित और बेघरों हेतु हो।

(4) किसी आश्रय गृह में बेघरों की संख्या धारण क्षमता से अधिक होने की स्थिति में वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था की जायेगी।

आश्रय गृह का संचालन प्रबंधन और अनुरक्षण नगरीय निकाय या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था या एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इसके लिए आश्रय गृह प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा। समुचित स्टाफ की व्यवस्था की जायेगी और आवश्यक रजिस्टरों और अभिलेखों का समुचित रख रखाव किया जायेगा। इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग उ0प्र0 के शासनादेश सं0–3964/नौ–7–16–98(जनरल)/2016 दिनांक 28 जून 2016 द्वारा भी शहरी बेघरों के लिए निर्मित आश्रय गृहों के संचालन और प्रबंधन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

आपके नगर में शहरी बेघरों के लिए उपलब्ध आश्रय गृहों का संचालन, प्रबन्धन और रखरखाव आदि दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय के परिचालनात्मक दिशा निर्देशों में उल्लिखित मानकों के अनुरूप हैं या नहीं इसका भौतिक सत्यापन के लिए समिति शीघ्र ही भ्रमण कर सत्यापन करेगी। कृपया व्यक्तिगत रूचि लेकर इन आश्रय गृहों को दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय के दिशा निर्देशों के अनुरूप होना सुनिश्चित करें। यदि किसी आश्रय में उक्त के परिप्रेक्ष्य में कोई कमी है तो इसे तत्काल दूर कराकर इसे मानक के अनुरूप बनायें।

उक्त के अतिरिक्त स्थायी आश्रय गृहों के सम्पूर्ण आंकड़े, चिन्हांकित लाभार्थियों (शहरी बेघरों) का विवरण और उसके चिन्हांकन की रीति, उनमें उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं/सुविधाओं का विवरण, उनके निर्माण में अन्तर्निहित धनराशि और उनके संचालन और प्रबन्धन की धनराशि और मरम्मत आदि की लागत भी समिति के उपयोगार्थ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायें। समिति द्वारा अस्थायी आश्रयों/रैन बसेरा के सम्बन्ध में भी सूचनाओं की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में समिति के सदस्य सचिव का पत्र दिनांक 16.12.2016 संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया यथापेक्षित सूचनायें तत्काल उपलब्ध करायें, यदि कोई आश्रय दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय के परिचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरूप न हो तो उसे तत्काल उसके अनुरूप सुसज्जित करें, मा0 समिति के भ्रमण के समय अपेक्षित पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करायें।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दें।

भवदीय

संलग्नक– यथोक्त।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, नगर विकास, विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उल्लिखित पत्र नगरीय निकायों को अपने स्तर से प्रेषित करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन त्वरित गति से सभी नगरीय निकायों में सुनिश्चित कराते हुए आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी उ0प्र0।
5. सहायक वेबमास्टर सूडा को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

No. 14419 /MS/GI/2016

FHo N-11028/8/2014-USD(FTS-16910)

Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation
O/o the Committee Constituted as per Hon'ble Supreme Court
(Temp. Office: Room No. 307-C, Nirman Bhawan)

New Delhi, the 16th December 2016

To,

The Chief Secretaries of All States/UTs

सचिव, नगर विकास

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Subject: **Status of Shelters in the State Reg.**
Most Urgent – Supreme Court matter

Sir,

This is to bring to your notice that as per Order dated 11th November 2016 of Hon'ble Supreme Court in WP No(s) in WP (Civil) No. 55/ 2003 and WP (Civil) No. 572/2003, the Hon'ble Supreme Court have constituted a Committee having Mr Justice Kailash Gambhir, retired Judge, High Court of Delhi as its Chairman with an officer of the Joint Secretary cadre from the Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation to be deputed by the Union of India and an officer, serving or retired, from the Delhi Judicial Service to be nominated by the Chief Justice of the High Court of Delhi in consultation with the Chairperson of the Committee as Members. The undersigned is the Member Secretary of the Committee.

2. Copy of Gazette Notification No 365, New Delhi, Thursday, December 8, 2016 has already been sent to you.

संख्या 11 04 /स०न०रो०ग०उ० /2016

The Hon'ble Supreme Court had defined the scope of the Committee as follows :

i) The Committee shall cause physical verification of the available shelters for urban homeless in each State/UT.

ii) The Committee shall also verify whether the shelters are in compliance of the operational guidelines for the Scheme of Shelters for Urban Homeless under the National Urban Livelihoods Mission (NULM).

iii) The Committee shall inquire into the reasons for the slow progress in the setting up of shelter homes by the States/UTs.\The Committee shall further inquire about the non-utilisation and/or diversion/misutilisation of the funds allocated for the Scheme for providing shelters to the urban homeless.

The Committee shall issue suitable recommendations to the State Governments to ensure that at least temporary shelters are provided for the homeless in the urban areas to protect them during the winter season. The State Governments shall ensure compliance with the recommendations along the time frame indicated by the Committee. Any non implementation shall be drawn to the attention of this Court.

(श्री प्रकाश [illegible])
सचिव,
नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग

The Committee or its Member/Members are likely to visit the State for ascertaining the progress made and the advancement done by your State for giving effect and compliance of the Orders of the Hon'ble Supreme Court in respect of the shelters constructed by your State Government.

4. Kindly send on very urgent basis the complete data / details of permanent shelters in your State, including their locations in various districts, towns, municipalities, etc., the numbers of beneficiaries identified and the manner thereof.

5. A detailed description be also sent regarding the facilities provided, if any, at the shelters, nature of shelters, the expenses incurred in construction and year wise operation and maintenance charges, and the cost of refurbishment, if any etc.

6. Same information is to be supplied with regard to the number of temporary shelters/rain baseras etc. It also be specified as to whether the shelter for homeless has been constructed after obtaining funds from the Centre, or by your State from its own resources, or by any NGO, or whether operation and maintenance charges are claimed from NULM on yearly basis in respect of any such category.

7. The Committee / its Member/Members will be visiting the shelters and inspecting the same irrespective of the fact whether the above data is sent or not and will submit its report accordingly.

8. It is understood that affidavit has been filed on behalf of your State before the Hon'ble Supreme Court pertaining to shelters and their conditions. Kindly intimate as to what further progress has been made in respect of such shelters, how many more shelters have been added and the facilities provided at such shelters.

9. In order to facilitate the work of the Committee, it is requested that further to the status communicated to Hon'ble Supreme Court, the present status of the shelters for homeless persons in your state under DAY-NULM or otherwise (separately) may kindly be provided to the Committee urgently.

10. It be noted that the Committee is to submit its report to the Hon'ble Supreme Court, within four months of its constitution.

Yours faithfully,

(Neeraj Kumar Gupta)
District & Sessions Judge (Retd)
Member Secretary of Committee

Shri Deepak Singhal
Chief Secretary
Government of Uttar Pradesh
Secretariat, Lucknow-226001